राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 69/2017

बाबूलाल पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल हाल निवासी रूपपुरा तह0 अंता जिला बारां

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांकः 19.07.2017 निर्णय दिनांक : 07.05.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 25 खसरा नं0 163 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 211/775 रकबा 0.62 है0 खसरा नं0 218 रकबा 2.03 है0 कुल किता 3 रकबा 2.68 है0 वाके ग्राम सोनवां तह0 मांगरोल में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2069–72 में वादी का हिस्सा मुताबिक खाता निहीत है, किन्तु जमाबंदी में सहवन से वादी का नाम बाबूलाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर कालूलाल पुत्र भैरूलाल दर्ज कर लिया है जबकि वादी का वास्तविक नाम बाबूलाल है। वादी के अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड भामाशाह कार्ड आदि में वादी का नाम बाबुलाल पुत्र भैरूलाल ही दर्ज है इसलिए राजस्व रेकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 25 में अपना नाम कालूलाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर बाबूलाल पुत्र भैरूलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः आराजी खाता संख्या 25 खसरा नं0 163 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 211/775 रकबा 0.62 है0 खसरा नं0 218 रकबा 2.03 है0 कुल किता 3 रकबा 2.68 है0 वाके ग्राम सोनवां तह0 मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम कालूलाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर बाबूलाल पुत्र भैरूलाल दर्ज किये जाने की कृपा करें।

उक्त आश्य का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 19.07.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल

...क्रमांक एलआर/2018/ कैम्प उदपुरिया/24 दिनांक 07.05.2018 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड ग्राम सोनवां में कालू, बलराम पुत्र भैरू कैलाशी, जमनी, बनासी पुत्रियां भैरू जाति गुर्जर निवासी ग्राम किता 3 रकबा 2.68 है0 भूमि का दर्ज खाता है। खातेदार कालू पुत्र भैरू का नाम अन्य दस्तावेजो में बाबूलाल पुत्र भैरू दर्ज है। कालू पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी सोनवां एवं बाबूलाल पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी सोनवां दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है जो कि हाल निवासी ग्राम रूपपुरा तह0 अंता का निवासी है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत बालदडा की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर ग्राम आराजी खाता संख्या 25 खसरा नं0 163 रकबा 0.03 है0 खसरा नं0 211/775 रकबा 0.62 है0 खसरा नं0 218 रकबा 2.03 है0 कुल किता 3 रकबा 2.68 है0 वाके ग्राम सोनवां तह0 मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम कालूलाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर बाबूलाल उर्फ कालूलाल पुत्र भैरूलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प उदपुरिया मजमेंआम में सुनाया गया।